बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या–1811 / 17 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्न	उत्तर
प्रधान सचिव, खनन विभाग द्वारा किशनगंज बालू ठीकेदार के विरूद्ध अवैध खनन करने सरकार को करोड़ों का राजस्व क्षति पहुँचाने पर विभागीय त्रिस्तरीय जाँच समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रधान सचिव को समर्पित किया गया, जिसके आलोक में प्रधान सचिव, खनन विभाग के पत्रांक 2225 दिनांक 19.08.17 द्वारा जिला पदाधिकारी, किशनगंज को बालू बंदोबस्ती रद्द करने का निदेश दिया गया, परन्तु जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बालू बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई अबतक नहीं की गयी है। अतः प्रधान सचिव, खनन विभाग के निदेश का अनुपालन जिला पदाधिकारी से कराते हुए बालू बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई हेतु निवेदन करता हूँ।	बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या–1811 / 17 के क्रम में सूचित करना है कि किशनगंज जिला के बालूघाटों की बंदोबस्ती को समाहर्त्ता के ज्ञापांक 585 दिनांक 16.12.17 द्वारा रद्द कर दिया गया है। सुलभ प्रसंग के लिए कार्यालय ज्ञापांक 585 दिनांक 16.12.17 की छायाप्रति संलग्न की जाती है।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–02–(वि0स)–02 / 18–........................ / एम0, पटना, दिनांक ....
प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार, विधान सभा को उनके ज्ञापांक 254–56 / वि0स0, दि0 04.01.2018 के प्रसंग में दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–प्र0–02–(वि0स)–02 / 18–347 / एम0, पटना, दिनांक 17.1.18
प्रतिलिपिः– संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्य 17/1/18

सरकार के अवर सचिव

D/Sanjay/ShyamaMam/Niwedan

जिला खनन कार्यालय, किशनगंज।

आदेश

आज दिनांक 17.10.2017 को किशनगंज जिला के बालू बंदोबस्तधारी श्री मो. ईसराईल को निर्गत नोटिस पत्रांक 284/एम0 दिनांक 04.09.17 में मो0 ईसराईल बंदोबस्तदार द्वारा दाखिल जबाब दिनांक– 04.10.2017 में व्यक्तिगत सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में की गई। सुनवाई में खान निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, बालु बंदोबस्तधारी श्री मो0 ईसराईल एवं इनके पुत्र श्री असरफूल हक, अधिवक्ता श्री संजीव रंजन एवं अधिवक्ता श्री कौशल किशोर यादव उपस्थित थे। कंडिकावार सुनवाई की गई :–

1. वैधनिक नोटिस पत्रांक 284/एम0 दिनांक 04.09.2017 के प्रश्न सं0– 1 के अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा बताया गया की बालु अधिसूचना संख्या 2887/[illegible] 22.01.2017 के तहत अधिसूचना की शर्तों के अंतगर्त एक माह [illegible] देकर समय विस्तार लिया गया तथा उक्त विस्तारित [illegible] 29.04.15 के अन्दर माईनिंग प्लान तैयार कर खान एंव [illegible] पटना में दाखिल कर दिया गया था इसके उपरांत विभाग [illegible] माईनिंग प्लान के दाखिल में विलंब के लिए कोई नोटिस हुआ [illegible] में कोई दिक्कत आई। विभाग द्वारा अधिसूचना में [illegible] किया गया और काफी लंबे समय के बाद [illegible] विभाग से माईनिंग प्लान अनुमोदित कर उपलब्ध [illegible] गया। ठीक इसके बाद बालु अधिसूचना के भार्तो के अंतगर्त 90 दिनों के अन्दर अनुमोदित माईनिंग प्लान को ससमय दिनांक 06.08.15 को वन एव पर्यावरण विभाग, पटना में जमा कर दिया गया। इसी बीच भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर 50 हेक्टेयर में पर्यावरणीय स्वीकृति किस स्तर से निर्गत करना है स्पश्ट नही होने के कारण हमें पर्यावरणीय स्वकृति नहीं मिली। ग्रीन ट्रिब्युनल कोलकाता के पारित आदेश दिनांक 19.01.16 से बालु का उत्खनन एंव प्रेशण दिनांक– 11.02.2016 से बंद कर दिया गया। पुनः सरकार के स्तर से निकली आदेश के उपरांत दोबारा दिनांक 10.03.2016 को फ्रेश पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन दाखिलि किया गया। इसी क्रम में वन एवं पर्यावरण विभाग, पटना द्वारा 10.05.16 एंव 24.05.16 के द्वारा कुल आठ घाटों को चलाने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

उपरोक्त के क्रंम में चल रहे मो0 अकबर अली, किशनगंज द्वारा शिकायत पत्र निस्तार के उपरांत दिनांक 30.08. 16 को दिये गये आदेशान्तरगत दाखिल शपथ संख्या 22741/16 दिनांक 03.09.16 के आलोक में सशर्त कार्यादेश निर्गत किया गया।

निदेशक खान एवं भूतत्व
प्राप्ति सं० एवं तिथि.......
निर्गत तिथि.......

(6)

2. निर्गत वैधानिक नोटिस के प्रश्न संख्या 02 में मो0 ईसराल एंव उनके वकील द्वारा बताया गया कि पूर्व में निर्गत वैधिनिक नोटिस संख्या 491 / एम0 दिनांक 18.05.16 में इसका निस्तार कर मेरे द्वारा जुर्माना की राशि 7,65,054 रू0 जमा कर दिया गया था। और परिवादी द्वारा आज तक Original चलान ना देकर छायाप्रति [illegible] जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

यह [illegible] नहीं प्रतीत नहीं होता है, क्योकि पहले भी पूर्व निर्गत नोटि[illegible] 18.05.17 के क्रम में छायाप्रति चलान पर ही आपके [illegible] की गई और कालांतर तक आपके द्वारा इसके [illegible] किसी न्यायालय में अपील नहीं की गई, पुनः [illegible] के समक्ष परिवादकर्त्ता द्वारा दिनांक 10.01.17 [illegible] कुल 5 एव 28 सादा चलान की जाँच बन्दोबस्तधारी द्वारा दिये [illegible] के साथ की गई है, एंव प्रतिवेदन जिला खनन कार्यालय किशनगंज [illegible] भी किए गए है। विदित है कि चालान की तीन प्रतियाँ होती है, जिसमें एक प्रति वाहन उपयोग, एक प्रति लेसी के पास तथा एक प्रति खनन कार्यालय को दिया जाता है, तथा इसका मासिक रिटर्न लेसी के द्वारा खनन कार्यालय में दाखिल किया जाता है। समीक्षा करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा जो रिपोर्ट जिला खनन कार्यालय को दिया है उसमें बालू की मात्रा 100 CFT दिखाई गई है, जबकि वाहन को दिये गये चालान में कुछ भी अंकित नहीं है। चालान संख्या– 2617883 दिनांक– 27.01.16 जो जिला खनन कार्यालय, किशनगंज में जमा है, उसमें 100 CFT मात्रा लिखी हुई है, जबकि वाहन में दिया गया चालान सादा है। उसी प्रकार चालान संख्या– 2671416 दिनांक– 27.01.2016 में 100 CFT कार्यालय रिपार्ट में दिया गया है, जबकि ड्राईवर का चालान सादा है। चालान संख्या– 2671406 दिनांक– 26.01.2016 में ड्राईवर की प्रति सादी है, जबकि कार्यालय रिपोर्ट में 100 CFT दर्ज है। चालान संख्या –– 2671894 दिनांक– 02.02.2016 की कार्यालय प्रति में 100 CFT दर्ज है, जबकि ड्राईवर प्रति सादी है। इसी प्रकार अन्य चालानों में भी यही स्थिति है। इससे स्पष्ट है कि लेसी द्वारा कार्यालय को समर्पित चालान की कार्यालय प्रति में मात्रा अंकन किया गया है, जबकि ड्राईवर की चालान प्रति में मात्रा का अंकन नहीं है। उद्देश्य एक ही है कि बालू के उत्तोलन एंव प्रेषण हेतु अतिरिक्त Royalty नहीं देनी पड़े। इससे विभाग को राजस्व में क्षति होती है, एंव

सरकारी नियम के विपरीत है। इस खाली चालानों पर भी आपको 4,12,002/- की जुर्माना की गई जो आज तक आपके द्वारा जमा नही की गई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में हुई सुनवाई में आपके द्वारा स्वीकार किया गया था कि केवल प्रश्नगत् चालान ही गलत हैं, अन्य नहीं है। साथ ही दिनांक 03.09.16 को दाखिल शपथ–पत्र में आपके द्वारा कहा गया था कि अब आगे भविष्य में अधिसूचना की शर्त्तो का पालन सुनिश्चित करूँगा, इसके विपरित आपके बंदोबस्त बालु घाट में निर्गत खनन विभाग का मुद्रित खाली चालान पुनः परिवादी के पास उपलब्ध होना एक बड़ी गलती को दोहराये जाने का पर्याप्त साबुत हैं। त्रिस्तरीय विभागीय [illegible] समिति द्वारा भी इसी परिप्रेक्ष्य में सूचित किया गया था। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता है कि परिवाद कर्त्ता मो0 अकबर अली द्वारा दाखिल चलानों के अलावें भी आप बड़े स्तर पर चलान की हेरा फेरी में शामिल हो सकते हैं।

3. निर्गत वैधानिक नोटिस के प्रश्न संख्या 03 में आप और आपके [illegible] द्वारा धर्मकांटा लगवाने के संबंध में बताया गया कि बालु अधिसूचना [illegible] के तहत आपको विभाग से आज तक कोई पत्र पूर्व में नहीं दिया गया [illegible] अधिसूचना संख्या– [illegible]/एम0 दिनांक– 22.07.14 के तहत बंदोबस्तधारी [illegible] आवश्यकता अनुसार सरकार के निर्देश पर धर्मकांटा लगवाने की बात कही गई।

यह जबाब भी आपका संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। किशनगंज बालु बंदोबस्ती की संचिका के अवलोकन से इस बात के ठोस प्रमाण उपलब्ध है कि खनन विभाग, किशनगंज द्वारा पूर्व में पत्रांक– 836/एम0 दिनांक– 20.07.15 को आपको स्पष्ट निदेश था कि सभी बडे बालुघाटों को चिन्हित करते हुए उनके स्रोतों के समीप ओवरलोडिंग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने हेतु आपके माध्यम से धर्मकांटा की स्थापना सुनिश्चित करना है, ताकि उक्त धर्मकांटा पर वजन के उपरान्त ही नियमानुकुल बालु परिवहन सुनिश्चित हो सके। साथ ही पत्र की प्रति खनन विभाग द्वारा पत्रांक– 837/एम0 दिनांक– 20.07.15 से [illegible] को भी अवगत कराया गया था।

[illegible] ध्यान में रखते हुए ठोस आधार के साथ कहा जा सकता है आप [illegible] का स्पष्ट उल्लंघन किया है।

4. निर्गत वैधनिक नोटिस के प्रश्न संख्या– 04 में आप और आपके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रतिवेदित जिला परिवहन पदाधिकारी, किशनगंज एंव जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्त बालुघाट से कृषि कॉलेज अर्राबाड़ी तक बड़ी गाड़ी का परिचालन संभव नही है। दिनांक– 30.08.2016 के बाद कृषि कॉलेज को बालु की आपूर्त्ति नही की गई है

उपरोक्त दिये गये बयान बिलकुल आधार से परे है और खान निरीक्षक के अनुसार दिनांक– 30.08.16 के बाद भी पंचांग वर्ष 2017 में कृषि कॉलेज अर्राबाड़ी को बालु की आपूर्त्ति आपके द्वारा की गई है, जिसके पर्याप्त साक्ष्य हैं।

अतः निदेशित है कि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, एंव प्रधान सचिव, खान एंव भूतत्व विभाग, बिहार पटना का पत्रांक संख्या– 2225/एम0 दिनांक– 19.08.2017, विभागीय त्रिस्तरीय जॉच समिति का पत्रांक– 1540 दिनांक– 13.06.2017 द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन एंव आपेक द्वारा दाखिल शपथ पत्र संख्या– 22740 दिनांक– 03.09.2016 का स्पष्ट उल्लंधन के आलोक में मो0 ईसराइल को प्राप्त सम्पूर्ण किशनगंज जिला की बालु बंदोबस्ती को नियम 39 एंव बालु अधिसूचना संख्या– 2887/एम0 दिनांक– 22.07.2014 के परिशिष्ट 1 के नियम 10 के अन्तर्गत (vi) एंव (vii) एंव बालु अधिसूचना के अन्य शर्तो के उंल्लधन के तहत आपकी बालु बंदोबस्ती रद्द की जाती है। साथ ही खान निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि सभी उत्खनित बालू को जप्त करते हुए जिला [illegible] निगम किशनगंज को उपलब्ध करायें तथा जिला [illegible] नियमानुसार निस्तारण [illegible] जमा कराना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की प्रति सभी संबधितो को अनुपालनार्थ भेजें।

समाहर्त्ता
किशनगंज।

ज्ञापांक 585 /एम., किशनगंज, दिनांक 16/12/2017.

प्रतिलिपि :– मो. ईसराईल, पे. स्व. हाजी वसीमुद्दीन, ग्राम टूपामारी, पो. बेलवा, थाना व जिला किशनगंज (बालु बंदोवस्तधारी) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई.टी. मैनेजर, समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित थानाध्यक्ष, जिला किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित अंचल अधिकारी जिला किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, खान एवं भू–तत्व विभाग, पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– निदेशक, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खान एवं भू–तत्व विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ।

समाहर्त्ता
किशनगंज।